राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 2(5)/शि–1/प्राशि/2003/पार्ट–II   जयपुर दिनांक: 18 AUG 2017

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

विषय : तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा, 2013 प्रथम एवं द्वितीय स्तर के संशोधित परिणाम में नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) का कलैंडर जारी किए जाने के संबंध में।

प्रसंग : राज्य सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 31.01.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 14.08.2017 को तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती, 2013 प्रथम एवं द्वितीय स्तर के संशोधित परिणाम में नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु कलेण्डर जारी किया गया है।

अतः इस विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 31.01.2017 (प्रति संलग्न) के अनुसार उक्त भर्ती के संशोधित परिणाम में नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु शाला दर्शन पोर्टल अपडेट करने से लेकर नियुक्ति/पदस्थापन तक की कार्यवाही बाबत् निम्नानुसार कलेण्डर जारी किया जाता हैः–

क्रसं.	विवरण	दिनांक
1	आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर/ निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज. बीकानेर द्वारा काउंसलिंग प्रकिया आयोजित किये जाने से पूर्व शाला दर्शन पोर्टल अपडेट कराना।	30.08.2017 तक
2	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा संशोधित परिणाम में नव चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर, पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची (Final list) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध कराना।	14.9.2017 तक
3	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार शाला दर्शन पोर्टल पर जिले की लॉगइन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना।	17.09.2017 तक
4	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाना।	18.09.2017
5	दिनांक 31.01.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कैंपों (परामर्श शिविर) का आयोजन)	19–20 सितम्बर, 2017 को
6	दिनांक 31.01.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना।	25.09.2017 तक

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(घनश्याम लाल शर्मा)
शासन उप सचिव

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. जिला कलेक्टर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा,
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा,
10. सम्बन्धित विकास अधिकारी जिला
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

www.rajteachers.com